(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी भंवर लाल जनागल (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 25/2025
पंजीकरण सं. :– 2025/106

बउनवान

राज0 सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ(राज.)
(प्रार्थी)

बनाम

श्री गिरधर गोपाल बंसल पुत्र श्री श्रवण बंसल जाति महाजन निवासी वार्ड नं. 11, सिविल लाईन ग्राम देवरी तहसील शाहबाद जिला बारॉ (राज.) (विक्रेता) मैसर्स श्रवण किराना स्टोर, शाहबाद रोड, देवरी जिला बारां (राज.)
(अप्रार्थी)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii)/58 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स, 2011

उपस्थिति :– 1–अनुपस्थित खा.सु.अ. (प्रार्थी)
2–श्री घनश्याम गर्ग अभिभाषक (अप्रार्थी)

निर्णय दिनांक 24.02.2026

प्रकरण राजस्थान सरकार जर्ये श्री गोवर्धन सिंह ख्यालिया, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक दिनांक 19.09.2024 को मैसर्स श्रवण किराना स्टोर, शाहबाद रोड, देवरी जिला बारां (राज.) पर पहुंचा। वहॉ पर श्री गिरधरगोपाल बंसल पुत्र श्री श्रवण बंसल जाति महाजन (विक्रेता) की हैसियत से उपस्थित था, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया गया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 19.09.2024 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा हूँ और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 02.12.2022 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है। श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर के आदेश कमांक आयुक्ता0/खासुऔनि/संस्था/2022/6235 दि. 22.12.2022 से कार्यक्षेत्र जिला बारां आवंटित किया गया तथा आदेश क्रमांक 6379 दिनांक 26.12.2022 के अनुसार मुझे ब्रास सील संख्या 61 आवंटित की गई।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहॉ पर खाद्य पदार्थ **रिफाईन्ड सोयाबीन तेल खुला** आम जनता को विक्रय हेतु 25 लीटर लगभग स्टील टिन एवं प्लास्टिक टिन में रखा हुआ था। मैंने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विकेता से परिचय लिया। विकेता से मौके पर खाद्य पदार्थ **रिफाईन्ड सोयाबीन तेल खुला** में मिलावट का शक होने पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारॉ द्वारा खाद्य पदार्थ **रिफाईन्ड सोयाबीन तेल खुला** 1600 एमएल एक साफ–सूखे स्टील टिन से व स्टील के जग में तुलवाकर वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा जिसकी कीमत श्री गिरधरगोपाल बंसल पुत्र श्री श्रवण बंसल जाति महाजन (विक्रेता) को 160/– रूपये (अक्षरे एक सौ साठ रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विकेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **रिफाईन्ड सोयाबीन तेल खुला** को स्टील के जग में एकरू‍ कर चार साफ–सूखी एवं खाली प्लास्टिक की शीशीयों में बराबर–बराबर भरकर एयरटाईट बंद किया एवं प्रत्येक भाग पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं कमांक ए.एच.–2264 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.–2264 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री गिरधरगोपाल बंसल पुत्र श्री श्रवण बंसल जाति महाजन (विक्रेता) ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विशलेषक कोटा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म नं0 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे मे बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्सलेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2024/1016 दिनांक 15.10.2024 से ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या 931/PHL/Kota/Act/2024/986 दिनांक 27.09.2024 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **रिफाईन्ड सोयाबीन तेल खुला** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 2.3.15 (b) के तहत **नियम का उल्लंघन (Contravention to Regulation)** होना पाया गया।

इस पर प्रकरण दिनांक 25.11.2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थी को जर्ये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया जाकर प्रकरण में एकपक्षीय अंतिम बहस सुनी गई।

राज. सरकार जरिये प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां ने परिवाद में अंकित किया है कि अप्रार्थी द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **रिफाईन्ड सोयाबीन तेल खुला** को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या 931/PHL/Kota/Act/2024/986 दिनांक 27.09.2024 के अनुसार,खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 2.3.15 (b) के तहत **नियम का उल्लंघन (Contravention to Regulation)** होना पाया गया। अप्रार्थी का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 51में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थी के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि अप्रार्थी द्वारा मैसर्स शिव एग्रीवो लि. बारां से रिफाईंड सोयाबीन का तेल खरीदकर विक्रय किया जाता है। उक्त खाद्य तेल पैक डिब्बों में आता था जिसके बिल भी अप्रार्थी के पास मौजूद है। अप्रार्थी द्वारा दिनांक 19.06.2024 को 15 केन 30 किलो वजन वाली खरीद की थी जिसमें से अप्रार्थी द्वारा बेचाना किया जाता था। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा मिलावट का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता है। जैसा तेल खरीद किया गया है वैसा ही अप्रार्थी द्वारा बेचा गया है। अप्रार्थी की एक छोटी सी परचूनी की दुकान ग्राम देवरी तहसील शाहबाद में स्थित है जो आदिवास क्षेत्र है। इसमें मजदूर वर्ग निवास करते है जो दैनिक आवश्यकता के लिए 05 रूपये की तेल–शक्कर आदि की खरीद करते है। इससे अधिक की उनकी खरीद करने की क्षमता नहीं है। इस कारण अप्रार्थी को मजबूरी में खुला तेल बेचना पड़ता है। अतः निवेदन है कि अप्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही खारिज की जावें।

प्रकरण में अप्रार्थी की एकपक्षीय अंतिमबहस सुनी गई और पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी से वास्ते नमूना जॉच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ **रिफाईन्ड सोयाबीन तेल खुला** खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या 931/PHL/Kota/Act/2024/986 दिनांक 27.09.2024 से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 2.3.15 (b) के तहत **नियम का उल्लंघन (Contravention to Regulation)** होना पाया गया। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 58 के तहत अप्रार्थी को कुल जुर्माना राशि 40,000/– रूपये (अक्षरे चालीस हजार रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त जुर्माना राशि ई–मित्र सेवा केन्द्र से चालान निकलवाकर, जरिये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे अन्दर एक माह प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक **24.02.2026** को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भंवर लाल जनागल)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट,
बारॉ (राज.)